3.0 उद्देश्य (Objective)

एक वैध अनुबन्ध के आवश्यक तत्त्वों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद अब इस पाठ के अन्तर्गत अनुबन्धों के निष्पादन, समाप्ति एवं अनुबन्ध-भंग से सम्बन्धित सन्नियमों का अध्ययन किया जायेगा।

1.1 परिचय (Introduction)

अनुबन्ध के निष्पादन से तात्पर्य अनुबन्ध के पक्षकारों द्वारा अपने-अपने वचनों का निष्पादन करने से है। किसी एक पक्षकार द्वारा अनुबन्ध सम्बन्धी दायित्वों का निष्पादन नहीं करने से अनुबन्ध या तो समाप्त हो जाता है या अनुबन्ध भंग हो जाता है।

1.2 अनुबन्ध का निष्पादन

अनुबन्ध का निष्पादन से तात्पर्य अनुबन्ध के पक्षकारों द्वारा अपने-अपने वचनों को पूरा करने से होता है। अनुबन्ध के अन्तर्गत पक्षकारों के उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार जब प्रत्येक पक्षकार उस कार्य को पूरा कर देता है जिसको करने का दायित्व उसने अनुबन्ध के अधीन स्वीकार किया है, तो इसे अनुबन्ध का निष्पादन कहते हैं।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत 'अनुबन्धों के निष्पादन' से सम्बन्धित निम्नलिखित नियम महत्वपूर्ण है-

(1) निष्पादन के सम्बन्ध में पक्षकारों के उत्तरदायित्व के निष्पादन की माँग कौन कर सकता है; (धारा 37 से 38)

(2) निष्पादन किसके द्वारा किया जाना चाहिए; (धारा 40 से 45)

(3) निष्पादन का समय और स्थान; (धारा 46 से 50)

(4) पारस्परिक वचनों का निष्पादन; (धारा 51 से 58)

(5) भुगतान का नियोजन। (धारा 59 से 61)

3.3 निष्पादन के सम्बन्ध में पक्षकारों का उत्तरदायित्व

अनुबन्ध के प्रत्येक पक्षकारों को अपना वचन पूरा करना चाहिए। किन्तु यदि किसी अधिनियम द्वारा उन्हें वचनों के निष्पादन से मुक्ति मिल गई हो, तो फिर निष्पादन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किन्तु यदि वचन के निष्पादन से पूर्व किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो वचन का निष्पादन उसके प्रतिनिधियों को करना पड़ता है। लेकिन पक्षकारों के व्यक्तिगत कला और गुण पर आधारित होने वाले अनुबन्धों में यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे 'A', 'B' को को एक निश्चित तिथि के अन्दर एक निश्चित चित्र बनाकर देने का वचन देता है, किन्तु उस निश्चित तिथि से पूर्व ही 'A' की मृत्यु हो जाती है। अतः यहाँ पर 'A' के प्रतिनिधि 'A' के वचन को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किये जा सकते हैं।

अनुबन्धों का निष्पादन दो प्रकार से किया जाता है-

(क) वास्तविक निष्पादन - जब अनुबन्ध के सभी पक्षकार अपने-अपने वचन अर्थात् उत्तरदायित्वों को पूरा कर देते हैं, तो वास्तविक निष्पादन कहते हैं।

(ख) निष्पादन के लिए प्रस्ताव - कभी-कभी अनुबन्ध के पक्षकार अपने वचन का निष्पादन नहीं करते हैं बल्कि वचन

Scanned with CamScanner

को पूरा करने के लिए प्रस्ताव करते हैं। किन्तु यह तब तक निष्पादन नहीं बन सकता है जब तक वचनग्रहीता इसे स्वीकार न कर ले, और अगर वचनग्रहीता उसे अस्वीकार कर देता है तो वचनदाता अनुबन्ध के निष्पादन से मुक्त हो जाता है। वचनदाता निम्नलिखित परिस्थितियों में निष्पादन से मुक्त हो जाता है-

(i) यदि ठहराव व्यर्थ हैं, तो वचनदाता अपने वचन के निष्पादन से मुक्ति पा लेता है।

(ii) व्यर्थनीय अनुबन्ध की स्थिति में यदि पीड़ित पक्षकार अपने अनुबन्ध का परित्याग कर देता है तो वचनदाता निष्पादन से मुक्त हो जायेगा।

(iii) यदि वचनदाता अपने वचन के निष्पादन से इन्कार कर देता है तो वचनग्रहीता अनुबन्ध को समाप्त कर सकता है।

(iv) पारस्परिक वचनों की अवस्था में वचनग्रहीता अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार न हो, तो वचनदाता अपने आप निष्पादन से मुक्ति पा लेता है।

(v) यदि वचनग्रहीता तीसरे पक्षकार से वचन का निष्पादन स्वीकार कर लेता है।

(vi) समय की प्रमुखता वाले अनुबन्ध में समय पर वचन का निष्पादन नहीं होते से दूसरा पक्षकार अपने वचन से मुक्त हो जाता है।

3.4 निष्पादन की माँग का अधिकार

साधारणतः अनुबन्ध के पक्षकारों को ही यह अधिकार होता है कि वह अनुबन्ध के निष्पादन की माँग करें, क्योंकि अनुबन्ध उन्हीं के मध्य होता है। किन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ है, जिनमें तीसरा पक्षकार भी अनुबन्ध के निष्पादन की माँग कर सकता है जो निम्नलिखित हैं-

(i) पारिवारिक समझौते की स्थिति में उन सदस्यों द्वारा भी अनुबन्ध के निष्पादन की माँग हो सकती है, जो अनुबन्ध के पक्षकार नहीं हैं।

(ii) ट्रस्ट का लाभकारी (Beneficiary) ट्रस्ट अनुबन्ध के पक्षकार न होते हुए भी निष्पादन की माँग कर सकता है।

(iii) यदि तीसरे पक्षकार को अनुबन्ध के किसी पक्षकार ने अपने आचरण या शब्दों द्वारा यह विश्वास प्रदान करता है कि उसे अनुबन्ध के निष्पादन का अधिकार है, तब उसे निष्पादन की माँग का अधिकार मिल जाता है।

3.5 निष्पादन किसके द्वारा होना चाहिए ?

अनुबन्ध अधिनियम के अनुसार वचनदाता ही अनुबन्ध के निष्पादन के लिए बाध्य होता है। यही कारण है कि वचनदाता द्वारा अनुबन्ध पूरा करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाने पर भी निष्पादन के समान ही माना जाता है। इसके साथ-साथ जिन अनुबन्धों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत कुशलता की आवश्यकता नहीं हो, उनका निष्पादन वचनदाताओं के अभिकर्त्ताओं द्वारा भी किया जा सकता है।

कभी-कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई वचन देते हैं। ऐसी स्थिति में उन सभी वचन देनेवाले पक्षकारों को संयुक्त वचनदाता एवं वचनों के पालन के लिए प्रत्येक वचनदाता संयुक्त रूप से उत्तरदायी होता है। उन वचनदाताओं में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर मृतक वचनदाता का उत्तराधिकारी अन्य वचनदाताओं के साथ मिलकर वचन को पूरा करने

Scanned with CamScanner

के लिए उत्तरदायी होता है। संयुक्त वचन की अवस्था में, यदि विपरीत अर्थ का अनुबंध न हो, तो प्रत्येक वचनदाता का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत भी होता है, अर्थात् संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक को भी पूरे वचन का पालन करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में पूरे वचन का पालन करनेवाला वचनदाता अपने सह-वचनदाताओं से उनके अंश प्राप्त करने का अधिकार होगा। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में यदि A, D को पूरा (9,000 रुपया) चुकाता है तो वह A एवं B से अलग-अलग तीन-तीन हजार रुपये पाने का अधिकारी होगा।

अंग्रेजी राजनियम के अनुसार संयुक्त वचन की स्थिति में निष्पादन का दायित्व केवल जीवित वचनदाताओं का होता है, मृतक वचनदाताओं के वैधानिक प्रतिनिधि उत्तरदायी नहीं होते हैं।

भारतीय सन्नियम में संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक को निष्पादन के दायित्व से मुक्त कर देने से अन्य संयुक्त वचनदाता भी मुक्त नहीं हो जायेंगे, बल्कि मुक्त वचनदाता को अपने सहवचनदाताओं में से किसी एक को मुक्त करने से सभी वचनदाता मुक्त हो जाते हैं।

Scanned with CamScanner